



प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

पुलिस उपाधीक्षक आधारभूत प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि :- 12 ¹/₂ माह

उत्तराखण्ड पुलिस

पुलिस उपाधीक्षक आधारभूत प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम

कालांश विवरण :- आन्तरिक विषय

1. प्रशिक्षण अवधि :- $12 \frac{1}{2}$ माह
2. कुल दिवस :- 380
3. रविवार अवकाश :- 50
4. द्वितीय शनिवार :- 13
5. राजपत्रित अवकाश :- 32
कुल अवकाश :- 95
6. वास्तविक कार्य दिवस :- $380 - 95 = 285$
7. प्रतिदिन आन्तरिक विषयों के 05 कालांश के अनुसार कुल कालांश :- $5 \times 285 = 1425$
8. कालांश अवधि :- 40 मिनट

नोट :- कम्प्यूटर प्रशिक्षण का एक कालांश सांयकाल अतिरिक्त चलाया जायेगा।

क्र०सं०	विषय	अंक	पूर्णांक
1	लैंगिक भेदभाव एवं मानवाधिकार	50	35
2	भारतीय संविधान	100	70
3	आधुनिक भारत में पुलिस का स्वरूप/राज्य पुलिस व्यवस्था एवं उसका स्वरूप	100	65
4	अपराध शास्त्र, दण्ड विज्ञान एवं परिपीडा शास्त्र	75	45
5	मानचित्र पठन, प्लॉन ड्राइंग, रेडियो संचार तथा प्राथमिक चिकित्सा	100	80
6	भारतीय दण्ड संहिता	100	80
7	दण्ड प्रक्रिया संहिता	100	80
8	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	50	40
9	विधि विज्ञान/विधि चिकित्साशास्त्र	100	80
10	पुलिस रेगुलेशन	100	80
11	सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, मोटर, तकनीक तथा यातायात	100	80
12	अपराधों की रोकथाम एवं अपराध संबंधी अभिलेख	50	40
13	अपराधों की विवेचना	100	80
14	न्यायशास्त्र, न्यायालय प्रबंधन एवं अभियोगो का विचारण	50	40
15	विविध अधिनियम	100	100
16	ऑफिस मैनुअल एवं वित्तीय नियम	50	40
17	सामाजिक-आर्थिक वातावरण - पुलिस पर प्रभाव	50	40
18	प्रबंध के सिद्धांत एवं मानव व्यवहार	100	80
19	पुलिस विभाग में पत्राचार एवं रिपोर्ट लेखन	25	50
20	कम्प्यूटर	100	300
कुल योग		1600	1505

सेमिस्टर अनुसार अन्तिम परीक्षा के विषयों, अंको एवं कालांशों का विवरण

आन्तरिक विषय

क्र०सं०	विषय	अंक	पूर्णांक
	प्रथम सेमिस्टर		
1	लैगिंग भेदभाव एवं मानवाधिकार	50	35
2	भारतीय संविधान	100	70
3	आधुनिक भारत में पुलिस का स्वरूप/राज्य पुलिस व्यवस्था एवं उसका स्वरूप	100	65
4	अपराधशास्त्र, दण्ड विज्ञान एवं परिपीड़ा शास्त्र	75	45
5	मानचित्र पठन, प्लॉन ड्राइंग, रेडियो संचार तथा प्राथमिक चिकित्सा	100	80
	कम्प्यूटर		
	द्वितीय सेमिस्टर		
6	भारतीय दण्ड विधान	100	80
7	दण्ड प्रक्रिया संहिता	100	80
8	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	50	40
9	विधि विज्ञान/विधि चिकित्साशास्त्र	100	80
10	पुलिस रेगुलेशन	100	80
	कम्प्यूटर		
	तृतीय सेमेस्टर		
11	सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, मोटर, तकनीक तथा यातायात	100	80
12	अपराधों की रोकथाम एवं अपराध संबंधी अभिलेख	50	40
13	अपराधों की विवेचना	100	80
14	न्यायशास्त्र, न्यायालय प्रबंधन एवं अभियोगो का विचारण	50	40
15	विविध अधिनियम	100	100
	कम्प्यूटर		
	चतुर्थ सेमेस्टर		
16	ऑफिस मैनुअल एवं वित्तीय नियम	50	40
17	सामाजिक-आर्थिक वातावरण – पुलिस पर प्रभाव	50	40
18	प्रबंध के सिद्धांत एवं मानव व्यवहार	100	80
19	पुलिस विभाग में पत्राचार एवं रिपोर्ट लेखन	25	50
20	कम्प्यूटर	100	300
कुल योग		1600	1505

लैगिंग भेदभाव एवं मानवाधिकार

खण्ड क— लैगिंग भेदभाव

पूर्णांक:— 50

कालांश:— 35

1. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य : महिलाओं की स्थिति
अ— पूर्व में महिलाओं की स्थिति और समय के साथ उनकी स्थिति में गिरावट।
ब— महिलाओं की स्थिति
 - ✓ लिंग अनुपात
 - ✓ शिशु मृत्यु दर
 - ✓ जीवन प्रत्याशा
 - ✓ विवाह के समय आयु
 - ✓ साक्षरता दर
 - ✓ विद्यालयों में प्रवेश का अनुपात एवं बीच में विद्यालय छोड़ने का अनुपात
 - ✓ विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार एवं दैनिक मजदूरी की आय एवं विभिन्न ट्रेड्स यूनियन की सदस्यता के परिप्रेक्ष्य में।
2. लैगिकता एवं लिंग में अन्तर
3. महिलाओं के प्रति हिंसा— प्रकृति एवं विस्तार
अ— बलात्कार
ब— छेड़खानी व उत्पीड़न
स— दहेज हत्या
द— दहेज उत्पीड़न
य— महिलाओं के प्रति अन्य हिंसा
4. महिलाओं के प्रति हिंसा— प्रकृति एवं विस्तार
अ— पुरुष प्रधान समाज
ब— दमन/अधीनता।
5. महिलाओं के प्रति हिंसा में पुलिस की प्रतिक्रिया —
अ— त्रुटिपूर्ण अवबोधन के कारण पुलिस की प्रतिक्रिया में कमी।
ब— थाना स्तर पर पीड़ित महिला के साथ अपेक्षित व्यवहार की कमी।
6. महिलाओं के प्रति हिंसा के संबंध में विधिक नियम —
अ— भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत
ब— विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत
7. महिलाओं के प्रति हिंसा के अपराध के अन्वेषण में सामान्य कमियाँ।
अ— घटनास्थल से भौतिक साक्ष्यों को एकत्र करने में।
ब— पीड़ित महिला के कथन को अंकित एवं उसका परीक्षण करने में।
स— न्यायालय में अभिलेख एवं भौतिक साक्ष्यों को भेजने में देरी करने में।
द— विचारण के समय साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न करने में।
8. सही अन्वेषण एवं अभियोजन की प्रक्रिया —
अ— विधि विज्ञान एवं विधि चिकित्साशास्त्र के पहलुओं को समझते हुये अन्वेषण की चैक लिस्ट तैयार करना।
ब— अन्वेषण एवं अभियोजन के मध्य समयबद्ध कार्यवाही करना।

9. पीड़ित महिला के साथ बर्ताव –
 अ– पीड़ित महिला की मनोदशा को सामान्य रूप से समझना।
 ब– बलात्कार एवं छेड़खानी की शिकार महिलाओं की मनोदशा को विशेष रूप में समझना।
 स–पीड़ित महिला के साथ बातचीत तथा उसकी पीड़ा को दूर करने में व्यवहार एवं वार्तालाप कौशल।
10. पुलिस संगठन में लैंगिकता के मुद्दे –
 अ– महिला पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस के साहसपूर्ण कार्य करने की क्षमता के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण अवधारणा।
 ब– महिला आरक्षियों की समस्याएँ।
 स– वरिष्ठ अधिकारियों एवं पुलिस सहयोगियों द्वारा महिला पुलिस कर्मियों के साथ बर्ताव।
 द– पुरुष पुलिस अधिकारियों की महिला पुलिस कर्मियों के साथ व्यवहार में लैंगिक संवेदनशीलता की आवश्यकता।
 य– पुरुष एवं महिला पुलिस कर्मियों के कर्तव्य आवंटन में भेदभाव के फलस्वरूप संगठन के मनोबल एवं समग्र सार्थकता पर प्रभाव
11. कार्य करने के स्थान पर लैंगिक समानता।
12. ए– महिलाओं द्वारा महिलाओं के प्रति हिंसा
 अ–प्रकृति एवं विस्तार
 ब– महिलाओं के शोषण के कारण
 ए– दहेज, बी– ग्रीड–लालच, सी– सस्पीशन– संदेह, डी– फाइनेंस– आर्थिक निर्भरता, ई– इन फेडिलटी विवोहत्तर सम्बंध, एफ– एल्कोहलिज्म–अत्यधिक मद्यपान
बी– कार्य करने के स्थान पर लैंगिक समानता :-
 ए– कार्य स्थल पर महिला कर्मचारी के साथ दुव्यवहार के संबंध में विधि,
 बी– दहेज नियमावली के अर्न्तगत पीड़ित महिला को सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं से वित्तीय सहायता हेतु प्राविधान।
 सी– पीड़ित महिला को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने विषयक विधि (महिला सहायता प्रकोष्ठ)
 डी– पीड़ित महिला हेतु काउन्सिलिंग, महिला हेल्प लाइन के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी।
 नोट :- जब भी आधारभूत प्रशिक्षण में अन्य विषयों में विषय की सामग्री अवसर प्रदान करे उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर बता दिया जाये।

खण्ड ख: – मानवाधिकार

1. मानवाधिकार की अवधारणा, विकास व सांस्कृतिक उद्भव, अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेज एवं मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय पहल।
2. मानवाधिकार एवं संवैधानिक प्रावधान— रूपरेखा, संविधान के भाग—3 व 4 में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य।
3. मौलिक अधिकारों की योजना में अनुच्छेद 20 व 21 की विशेष भूमिका।
4. पुलिस द्वारा लागू की जाने वाली विधियों में मानवाधिकार की व्यवस्था
5. पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन, पुलिस हिरासत में बलात्कार, हत्या व अन्य उत्पीड़न, कारण व निवारण।
6. मानवाधिकार हनन की शिकायतें—जांच व निवारण, मानवाधिकारों के अनैतिक हनन का स्वरूप, जनहित विवादों व न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से दोषी राजकीय कर्मचारी द्वारा मानवाधिकार हनन के शिकार व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति हेतु भुगतान
7. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 राष्ट्रीय एवं राज्य के मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली व उपादयता।
8. अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएँ— अमनेस्टी इन्टरनेशनल , रेडक्रास , पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबरटीज आदि की प्रबोधक भूमिका।
9. गिरफ्तारी सम्बन्धी कानून (डी0के0 बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश)
10. मानवाधिकार विषय:— सभ्य प्रजातांत्रिक समाज में कानून एवं न्यायालयों के आदेशों का पालन करना –
 - (1) नागरिकों की गिरफ्तारी के समय
 - (2) विवेचना के दौरान गवाहों से पूछताछ के समय
 - (3) पीड़ित द्वारा न्याय के लिए गुहार करते समय
11. उत्तर प्रदेश की औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 –
 - (1) प्रदेश सरकार की उदारीकरण नीति
 - (2) विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, उद्योगों , उद्यमियों व व्यवसायियों की सुरक्षा
 - (3) त्वरित शिकायत निवारण कोष्ठ (मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0)
 - (4) जनपद स्तर पर व्यापारिक सुरक्षा फोरम

भारतीय संविधान

पूर्णांक:- 100

कालांश:- 70

(खण्ड क) भारतीय संविधान :- निर्माण का इतिहास , विशेषतायें

1. भारतीय संविधान :-

1. उद्देशिका : भारतीय संविधान का दर्शन
 - (अ) उद्देशिका का तात्पर्य
 - (ब) उद्देशिका का सार
 - (स) उद्देशिका का इतिहास
 - (द) उद्देशिका का संविधान के अन्य उपबन्धों पर प्रभाव

2. संघ और राज्य क्षेत्र : अनुच्छेद-1 से 4 तक :-

- (अ) राष्ट्र का नाम
- (ब) राज्यों का संघ
- (स) राज्य क्षेत्र
- (द) संघ राज्य क्षेत्र

3. मौलिक अधिकार/आरक्षण नीति :-

अनुच्छेद 12 से 35 तक

आरक्षण नीति :-

1. आरक्षण की अवधारणा , आवश्यकता एवं उद्देश्य
2. आरक्षण: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
3. आरक्षण : संवैधानिक उपबन्ध
4. वर्तमान व्यवस्था (केन्द्र व राज्य सरकार) नवीनतम शासनादेशों एवं माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के निर्णयों के संदर्भ है।

4. राज्य के नीती निदेशक तत्व :-

अनुच्छेद 37 से 51 तक

5. मूल कर्तव्य :-

अनुच्छेद 51 ए

6. सांसदों एवं विधायकों के विशेषाधिकार , उन्मुक्तियों :-

अनुच्छेद 105, 194

7. भारतीय न्यायिक व्यवस्था- उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय :-

अनुच्छेद 124-127 , 131,132, 214, से 217 , 226

8. उच्चत न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति :-

अनुच्छेद 143

9. विधि का शासन एवं अपराधिक न्याय प्रशासन, लोक हितवाद :-

10. लोक अदालत :-

11. संघ एवं राज्यों के बीच सम्बन्ध :-
अनुच्छेद 245 से 254, 256 से 258, 262, 263, 301, 302
12. लोक सेवकों का संरक्षण :-
अनुच्छेद 308 से 311 तक
13. लोक सेवा आयोग :-
अनुच्छेद 315, 320
14. प्रशासनिक अधिकरण :-
अनुच्छेद 323क, ख
15. निर्वाचन :-
अनुच्छेद 324 से 329, 330, 332, 340
16. आपात उपबन्ध :- विघ्नांसात्मक शक्तियों का विकास, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, अतिवाद, आंतकवाद आदि
अनुच्छेद 352, 353, 355, 356, 358, 359,
17. राष्ट्रपति/राज्यपाल/राज्य प्रमुखों को संरक्षण :-
अनुच्छेद 361 से 361क
18. संविधान संशोधन :-
अनुच्छेद 368
19. पंचायती राज व्यवस्था :-
अनुच्छेद 371
20. जनहित याचिका (उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय) :-

आधुनिक भारत में पुलिस का स्वरूप / राज्य पुलिस व्यवस्था एवं उसकी भूमिका

पूर्णांक:- 100

कालांश:- 65

1- पुलिस का स्वरूप :-

1. वर्तमान पुलिस के संगठन का इतिहास
2. पुलिस के समक्ष चुनौतियाँ :- साम्प्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रीय एवं आर्थिक असंतुलन, नक्सलवाद, आतंकवाद, राजनैतिक हस्तक्षेप, तकनीक विकास, बढ़ती जनसंख्या, संगठित अपराध, सफेदपोश अपराध।

2- पुलिस का संगठन :-

1. अ- उत्तराखण्ड पुलिस का संगठन :- राज्य, जोन, परिक्षेत्र, जिला, सर्किल, थाना, चौकी तथा ग्राम स्तर, रिजर्व पुलिस लाईन, अभियोजन शाखा, डी0सी0आर0बी0, एल0आई0यू0, फील्ड यूनिट, हरिजन सेल, विशेष जॉच शाखा, महिला अपराध सेल, महिला पुलिस थाना।

ब- विशेष इकाइयाँ :- अपराध अनुसंधान विभाग, अर्थ विषयक अनुसंधान शाखा, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, राज्य विधुत परिषद के अर्न्तगत पुलिस संगठन, विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता, विशेष जॉच, अभिसूचना शाखा, पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, पी0ए0सी0, पुलिस रेडियो, तकनीकी सेवायें, तकनीकी सेवाये, यातायात निदेशालय, अंगुलि चिन्ह संग्राहालय, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज्य अपराध सूचना केन्द्र, रेलवे पुलिस, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्डस, अग्निशमन शाखा, सतर्कता अधिष्ठान, अभियोजन निदेशालय, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, सेन्ट्रल रिजर्व/राज्य मोटर परिवहन, सेन्ट्रल स्टोर, ग्रामीण पुलिस, ग्राम सुरक्षा, समितियाँ, पुलिस प्रशिक्षण संस्थायें।

2. केन्द्रीय पुलिस संगठन :- आई0बी0, सी0बी0आई0, बी0एस0एफ0, सी0आर0पी0एफ0, एन0आई0सी0एफ0एस0, डी0सी0पी0डब्लू, एन0ई0पी0ए0(North Eastern Police Acadaemy), डी0जी0सी0ए0(Director General Civil Aviation), डी0जी0सी0डी0(Director General Civil Difence), बी0पी0आर0एण्ड डी0, आर0पी0एफ0, रेलवे सुरक्षा बल, सी0आई0एस0एफ0, आई0टी0बी0पी0, एन0एस0जी0, एस0पी0जी0, एस0एस0बी0, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, एन0सी0आर0बी0, आसाम राइफल।

3. उत्तराखण्ड पुलिस का शासन का संगठन

अ-मुख्य सचिव एवं विभिन्न विभागों के सचिव

ब- गृह विभाग का संगठन

स-पुलिस प्रशासनिक सम्बन्ध

अपराध शास्त्र, दण्ड विज्ञान एवं परिपीडा शास्त्र

पूर्णांक:— 75

कालांश:— 45

1—अपराध शास्त्र की आधुनिक धारणा का परिचय, अपराध की परिभाषा।

2—अपराध शास्त्रीय कारण :-

1. मनोविज्ञान
2. भौगोलिक
3. आर्थिक
4. पारिवारिक
5. राजनैतिक
6. धार्मिक
7. शिक्षा सम्बन्धी
8. संचार माध्यम
9. सामाजिक कुरीतियों
10. युद्ध तथा क्रान्ति
11. वंशानुक्रम (पेटृकता)
12. शारीरिक दोष
13. मानसिक दोष
14. बेरोजगारी
15. कुसंगति।

3— अपराध एवं अपराधी के प्रकार

4— दण्ड विज्ञान

1. दण्ड विज्ञान की अवधारणा
2. परिवीक्षा
3. पैरोल
4. सुधार गृह संस्थान
5. सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थायें जो सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य कर रही है से समन्वय।
6. विभिन्न प्रकार की जेलों की सामान्य जानकारी
7. पुनरवर्तिता :- हतोत्साहित करने के उपाय
8. दण्ड के सिद्धांत एवं प्रकार

5— परिपीडा शास्त्र

1. अवधारणा एवं लक्ष्य
2. अपराध से पीड़ित व्यक्ति के लिये क्षतिपूर्ति
3. पुनस्थापना

मानचित्र पठन, प्लॉन ड्राइंग, रेडियो संचार तथा प्राथमिक चिकित्सा

पूर्णांक:— 100

कालांश:— 80

1— मैप रीडिंग

1. मैप रीडिंग का अर्थ एवं इससे लाभ
2. दिशाओं और उप दिशाओं का ज्ञान
3. दिशायेँ ज्ञान करने के साधन
4. वियरिंग को परिवर्तित करना
5. अन्तर की व्याख्या और वियरिंग का ज्ञान
6. सांकेतिक चिन्ह
7. पैमाना
8. स्थान, स्थिति
9. नक्शों का बनाना, दिशाओं का दर्शाना एवं दिशानुकूल रखना
10. मानचित्र पर पृथ्वी की बनावट दिखाना
11. परिभाषायें
12. प्रिज्मेटिक कम्पास

2— प्लॉन ड्राइंग :-

1. प्लॉन का वर्गीकरण
2. जंगल की घटनाओं का प्लॉन
3. पैमाइश करने की रीति
4. लम्बाई के पैमाने
5. नदी की चौड़ाई/गहराई नापने के नियम
6. अभ्यासिक प्रश्न

3— रेडियो संचार :-

1. डबल्यू0टी0/आर0टी0 संचार की आवश्यकता एवं विधि— एच0एफ0, वी0एच0एफ0, यू0एच0एफ0 एवं रिपीटर संचार प्रणाली। उपग्रह संचार एवं आप्टिकल फाइबर
2. रेडियो संचार विधि से लाभ
3. वाकी—टॉकी/स्टैटिक मोबाइल सेटों पर वार्ता करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण
4. जिलों में स्थापित पुलिस की संचार व्यवस्था— डी0सी0आर0, सी0सी0आर0, रिपीटर स्टेशन, सी0डब्लू स्टेशन, इलैक्ट्रॉनिक टेलीप्रिन्टर, आर0टी0टी0वाई0 आदि।
5. रेडियो संदेश बनाना एवं इनकी प्राथमिकतायें।

4— प्राथमिक चिकित्सा

1. प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ एवं लाभ।
2. प्राथमिक चिकित्सा के विभिन्न प्रकार एवं संसाधन
3. हड्डी टूटने, घाव, रगड़, नीलगू घाव, घर्षण मरहम पट्टी करने का व्यवहारिक ज्ञान।
4. घायल होने, सॉप काटने, महामारी फैलने एवं दैनिक आपदा के समय प्राथमिक चिकित्सा सहायकता
5. पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिक सहायता पहुंचाने का व्यवहारिक ज्ञान।
6. शरीर पर आई खुली चोटों एवं हड्डी टूटने की दशा में प्राथमिक उपचार।
7. जल में डुबने एवं फॉसी लगने पर कृत्रिम श्वास का दिया जाना।
8. अभ्यासिक प्रदर्शन

भारतीय दण्ड विधान

पूर्णांक:- 100

कालांश:- 80

- क- 1- भारतीय दण्ड विधान के निर्माण का इतिहास- 1860
2-उद्देशिका
3- संशोधन प्रक्रिया

ख -

1. अध्याय 1
2. अध्याय 2 - धारा 6, 10, 14, 18, 19, 20, 21 से 30, 35, 39, 40 से 44, 52, 52 क
3. अध्याय 3- धारा 53 से 71, 74, 75
4. अध्याय 4- धारा 76 से 106
5. अध्याय 5- धारा 107, 180क, 114, 115, 117, 118, 119, 120
6. अध्याय 5क - धारा 120 क, ख
7. अध्याय 6 - धारा 121 से 124क, 128 से 130
8. अध्याय 7 - धारा 131, 135, 136, 138, 140
9. अध्याय 8 - धारा 141 से 149, 151, 152, 153 क, ख, 159, 160
10. अध्याय 9- धारा 161 से 165ए, 166 से 170
11. अध्याय 9क- धारा 171 से 171 झ
12. अध्याय 10- धारा 174, 180, 182, 183, 187, 188
13. अध्याय 11- धारा 191 से 196, 201, 202, 211, 216, 216क, 221 से 225, 227, 228 क
14. अध्याय 12- धारा 230 से 236, 255
15. अध्याय 13- धारा 265
16. अध्याय 14- धारा 268, 269, 278, 280, 289, 292, 294ए
17. अध्याय 15-- धारा 295 से 298
18. अध्याय 16- धारा 299 से 309, 318 से 326, 330 से 335, 336 से 343, 348 से 354, 359 से 374, 375 से 377
19. अध्याय 17 - धारा 378 से 382, 383, 384 से 420, 425, 429, 430, 441 से 460
20. अध्याय 18- धारा 463 से 465, 467, 468, 477 क से 488, 498क से ड तक
21. अध्याय 20 धारा 498
22. अध्याय 20क- 498क
23. अध्याय 21- धारा 499 से 502
24. अध्याय 22- 503 से 506
25. अध्याय 23- धारा 511

दण्ड प्रक्रिया संहिता

पूर्णांक:- 100

कालांश:- 80

- क- 1- दण्ड प्रक्रिया संहिता के निर्माण का इतिहास (1974 अधिनियम 2)
2-उद्देशिका
3- संशोधन प्रक्रिया (संघ/राज्य द्वारा)

ख -

1. अध्याय 1- धारा 1 से 5
2. अध्याय 2 - धारा 6 से 25
3. अध्याय 3- धारा 26 से 35
4. अध्याय 4- धारा 36 से 40
5. अध्याय 5- धारा 41 से 60
6. अध्याय 6 - धारा 61 से 90
7. अध्याय 7 - धारा 91 से 105
8. अध्याय 8 - धारा 106 से 124
9. अध्याय 9- धारा 125 से 128
10. अध्याय 10- धारा 129 से 148
11. अध्याय 11- धारा 149से 153
12. अध्याय 12- धारा 154 से 176
13. अध्याय 13- धारा 177 से 189
14. अध्याय 14- धारा 190 से 199
15. अध्याय 15— धारा 200, 202
16. अध्याय 16- धारा 204, 206, 207, 209, 210
17. अध्याय 17 - धारा 211 से 213, 219 से 221, 223
18. अध्याय 18- धारा 226 से 228, 232, 234, 235, 236
19. अध्याय 19 धारा 238 से 250
20. अध्याय 20- धारा 251 से 259
21. अध्याय 21- धारा 260 से 265
22. अध्याय 22- धारा 267 से 271
23. अध्याय 23- धारा 273 से 280, 284 से 286, 295 से 296
24. अध्याय 24 - धारा 300, 303, 304, 306, 315, 318, 321
25. अध्याय 25- 328, 329, 334, 336, 339
26. अध्याय 26- 340 से 345
27. अध्याय 27- 353से 365
28. अध्याय 28- 366 से 371
29. अध्याय 29- धारा 372 से 394
30. अध्याय 30- धारा 395 से 405
31. अध्याय 31 धारा 406 से 412
32. अध्याय 32 धारा 413 , 416, 421, 425, 431 से 435
33. अध्याय 33 - धारा 436, 437, 439, 444, 446
34. अध्याय 34- धारा 451 से 459
35. अध्याय 35 धारा 460, 461, 463, 465
36. अध्याय 36- धारा 467 से 473
37. अध्याय 37- धारा 474, 477, 481, 482
38. प्रथम अनुसूची- अपराधों का वर्गीकरण- सामान्य जानकारी
39. दं0प्र0सं0 के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण शासनादेश।

विधि विज्ञान एवं विधि चिकित्सा शास्त्र

पूर्णांक:— 100

कालांश:— 80

1. विधि विज्ञान
2. विधि विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास
3. विधि विज्ञान के सिद्धांत
4. विशेषज्ञ की सम्मति के सम्बंध में विधि
5. केन्द्रीय विधि विज्ञान संस्थान
6. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालायें एवं फील्ड यूनिट आदि।
7. अपराध के घटनास्थल का संरक्षण, निरीक्षण एवं नक्शानजरी आदि।
8. अपराध के घटनास्थल की फोटोग्राफी, लेबोरेटरी फोटोग्राफी, वीडियो कैमरे का प्रयोग।
9. इन्फ्रारेड, अल्ट्रावॉयलेट रेज तथा एक्सरेज का महत्व।
10. भौतिक साक्ष्यों के स्रोत, महत्व एवं अनुसंधान।
11. भौतिक साक्ष्यों को उठाना, चिन्हांकन करना तथा उनको पैक करना।
12. अग्रसरण
13. कन्ट्रोल सैम्पल, महत्व, उठाना, चिन्हांकन करना तथा उनको पैक करना।
14. छाप अंगुष्ठ— महत्व, वर्गीकरण के मुख्य सिद्धांत, छाप के प्रकार, अनुसंधान, अदृश्य छाप को विकसित करना, लिफ्टिंग एवं फोटोग्राफी। टेन डिजिटल और सिंगल डिजिटल अभिलेख तथा कम्प्यूटराइज्ड अभिलेख, छाप अंगुष्ठ विकसित करने के उपकरण।
15. पदछाप महत्व, अनुसंधान, अभिलेख (कास्टिंग/ट्रेसिंग) पहचान, जूता चप्पल की छाप, ट्रेडमार्क, टायरमार्क्स, स्किड मार्क्स आदि का महत्व।
16. शारीरिक द्रव्यों जैसे—बाल, खून, वीर्य, नाखून, उतक, लार तथा अस्थि का महत्व एवं परीक्षण
17. सीरोलॉजी, डी0एन0ए0 प्रोफाइलिंग
18. मिट्टी, पत्थर, फायबर, कपड़े का टुकड़ा, धूल, शीशा, पेन्ट, पत्तियों, पराग, बीज, धातु का टुकड़ा एवं कागज आदि।
19. ओडोन्टोलॉजी, फोटोग्राफिक सुपर इम्पोजीशन ऑफ स्कल।
20. अभिलेख एवं हस्तलेख परीक्षण के सिद्धांत, प्रकार, हस्ताक्षर परीक्षण, टाइप लेख, जले हुये एवं अधजले लेख, वीएसी जालसाजी, नमूना लेख के प्रकार तथा उन्हें लेने की प्रक्रिया।
21. बॉलिसटिक्स— आग्नेयास्त्रों का वर्गीकरण, परिभाषा, बनावट, भाग, कारतूस की बनावट, बुलट आदि। फायरिंग की दूरी का निर्धारण, रिकोचेटिंग, नाइट्राइट रेजीड्यू टैस्ट, फायरिंग पाउडर के प्रकार, विभिन्न प्रकार के मार्क्स आदि।
22. दूरसंचार विभाग के तारों, केबिल की पहिचान, विघुत तारों की चोरी का मामला।
23. अंको का पुनः जागरण।
24. जाली करेंसी नोटो एवं अदालती दस्तावेजों की पहिचान।
25. मादक पदार्थों का अवैध कारोबार, मादक पदार्थों की पहिचान, ड्रग डिटेक्शन किट से परीक्षण।
26. एल्कोहल, ड्रग्स, औषधि आदि।
27. विषाक्तन, विषों के प्रकार एवं विसरा आदि।
28. खाद्य पदार्थों में मिलावट।
29. निर्माण सामग्री में मिलावट एवं अनुचित साधनों का प्रयोग।
30. आगजनी के सम्बंधित अपराध, जली वस्तुओं का परीक्षण एवं ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, आग के अवशेष आदि।
31. विस्फोट के घटनास्थल, विस्फोटकों को उठाना बम निरोधी दस्ते आदि।
32. पोस्टमॉर्टम

2- विधि चिकित्साशास्त्र

1. प्रस्तावना- न्याय आर्युविज्ञान की पुलिस के लिये आवश्यकता तथा विस्तार।
2. चिकित्सा विधि शास्त्रीय साक्ष्य को ध्यान में रखते हुये घटनास्थल का निरीक्षण।
3. जीवित व्यक्तियों की पहचान एवं आयु निर्धारण के तरीके।
4. मृत व्यक्तियों की पहचान।
5. दफन शव को निकलवाना, शव परीक्षा, अंग विच्छेदित, शरीर तथा हड्डियों का परीक्षण
6. मृत्यु के कारणों का चिकित्सा विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण, मृत्यु के कारण, मृत्यु का समय निर्धारण।
7. मानव वध , आत्महत्या, आकस्मिक तथा प्राकृतिक मृत्यु में अन्तर।
8. फॉसी लगाने , गला घोटने, गला दबाने, श्वास अवरोध तथा डुबने से हुई मृत्यु की पहचान एवं लक्षण।
9. भूख गर्मी तथा ठंड से हुई मृत्यु।
10. विभिन्न प्रकार के घाव तथा उसके लक्षण, अग्नि, आयुद्ध, तेज धारदार, नुकीले आयुद्ध, विस्फोटक से जलने तथा झुलसने से आये घाव।
11. जहर के प्रकार एवं मानव शरीर पर उसका प्रभाव।
12. यौन अपराधों का मेडिकोलीगल दृष्टिकोण।
13. रसायनों एवं जहर का मेडिकोलीगल दृष्टिकोण।
14. आयुद्ध एवं यातायात दुर्घटना में आई चोटों का मेडीकोलीगल दृष्टिकोण।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

पूर्णांक:- 50

कालांश:- 40

1- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872

अ - साक्ष्य क्या है, साक्ष्य के प्रकार, साक्ष्य की आवश्यकता एवं महत्व, साक्ष्य देने क विधि एवं सावधानियों, स्वीकृति/संस्वीकृति।

ख-

1. अध्याय 1 सम्पूर्ण
2. अध्याय 2 धारा 5 से 17, 21, 24 से 33, 34, 35, 40, 45, 47, 50, 51, 52, 54
3. अध्याय 3 - धारा 56, 57, 58
4. अध्याय 4- सम्पूर्ण
5. अध्याय 5- धारा 61 से 65, 67, 73 से 87, 88, 90
6. अध्याय 7- धारा 101 से 108, 112, 113, 113क, ख, 14, 114क
7. अध्याय 9- संपूर्ण
8. अध्याय 10 सम्पूर्ण 118 से 134
9. अध्याय 11- धारा 167

पुलिस रेगुलेशन

पूर्णांक:— 100

कालांश:— 80

1. अध्याय 1— वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।
2. अध्याय 2 — रिजर्व निरीक्षक और रिजर्व उप निरीक्षक
3. अध्याय 5— उपनिरीक्षक और सिविल पुलिस के अधिनस्थ अधिकारी।
4. अध्याय 6— सशस्त्र पुलिस
5. अध्याय 7— सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व (आरक्षित)
6. अध्याय 8 — घुड़सवार पुलिस
7. अध्याय 9 — ग्राम पुलिस
8. अध्याय 12— पंचायतनामा, शव परीक्षण और घायल व्यक्तियों का उपचार
9. अध्याय 15— विशेष अपराध
10. अध्याय 18 — विशेष गार्ड और अतिरिक्त पुलिस
11. अध्याय 19 — फरार अपराधी।
12. अध्याय 20 बुरे चरित्र वालो का पंजीकरण और निगरानी
13. अध्याय 21 आदेशिकाओं का निष्पादन
14. अध्याय 22 अभिलेख एवं गोपनीय दस्तावेज
15. अध्याय 23 पुलिस थानों पर रखे गये लेखे
16. अध्याय 24 भारतीय राज्य
17. अध्याय 25 जन्म और मृत्यु की सूचनायें
18. अध्याय 27 विशेष विधियों और नियमों के अर्न्तगत कर्तव्य
19. अध्याय 28 प्रकीर्ण
20. अध्याय 29 नियुक्ति
21. अध्याय 30 पदोन्नतियाँ
22. अध्याय 31 पारितोषिक
23. अध्याय 32 पुलिस अधिकारियों को विभागीय दण्ड और उनका आपराधिक अभियोजन
24. अध्याय 33 अपील, पुनरीक्षण याचिका और दस्तावेजो की प्रतियाँ
25. अध्याय 34 स्थानान्तरण
26. अध्याय 35 राजपत्रित अधिकारियों, निरीक्षकों और रिजर्व उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण
27. अध्याय 36 उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण।

सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं मोटर तकनीक तथा यातायात प्रबंधन

पूर्णांक:- 100

कालांश:- 80

क- सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना :-

1. लोक व्यवस्था का अर्थ व महत्व तथा शान्ति बनाये रखना।
2. भीड़ नियंत्रण के सिद्धांत तथा जवाबी रणनीति, अभिसूचना संकलन, विधिक उपाय, भीड़ के व्यवहार का विश्लेषण, परामर्श एवं मध्यस्थता।
3. बल प्रयोग एवं पुलिस पुलिस द्वारा गोली चलाना
4. दंगे व दंगा नियंत्रण योजना।
5. बड़े पैमाने पर प्रसारण एवं बन्दोबस्त योजना एवं पुलिस बल का व्यवस्थापन एवं गतिशीलता।
6. साम्प्रदायिक वातावरण/दंगा नियंत्रण : जाँच एवं पर्यवेक्षण।
7. अर्द्ध सैनिक बलों का व्यवस्थापन।
8. आतंकवाद एवं विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की रणनीति
9. संगठित अपराधियों से लड़ने की रणनीति।
10. कानून एवं व्यवस्था से सम्बन्धित अभिलेख।
11. असमाजिक तत्वों की प्रविष्टि सम्बंधी अभिलेख।
12. शांति व्यवस्था सम्बंधी बीट, गश्त तथा पिकेट्स
13. असामाजिक व्यक्तियों की निगरानी एवं जाँच
14. अभिलेखों का विश्लेषण एवं संसाधनों का आंकलन।
15. अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

ख- सुरक्षा

1. सुरक्षा के प्रमुख सिद्धांत।
2. वी0आई0पी0 सुरक्षा के विशेष नियम
3. THREAT PERCEPTION का आंकलन
4. महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों/हवाई अड्डों/रेलवे स्टेशनों/बस स्टॉप/ सीमा की सुरक्षा।
5. विदेशियों का पंजीकरण एवं संचालन नियम (आवागमन पर निगाह रखना)
6. जासूसी गतिविधियां
7. सुरक्षा एवं गार्ड ड्यूटी।
8. सुरक्षा ड्यूटी- प्लानिंग एवं डिप्लायमेंट
9. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के दौरान स्टेडियम एवं खिलाड़ियों की सुरक्षा।
10. अभिलेख, कम्प्यूटर एवं सूचना की सुरक्षा
11. औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र विदेश नीती
अ- प्रदेश सरकार की उदारीकरण नीती।
ब- विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, उद्योगों, उद्यमियों व व्यवसायियों की सुरक्षा।
स- त्वरित शिकायत निवारण कोष्ठ (मुख्यालय पुलिस महानिदेशक)
द- जनपद स्तर पर व्यापारिक सुरक्षा फोरस।

ग- आपदा प्रबंधन :-

1- प्राकृतिक आपदायें

1. भूकम्प
2. बाढ़
3. तूफान
4. संक्रामक बीमारी
5. अतिवृष्टि, भूस्खलन।

2- मानव जन्य आपदायें

1. हवाई दुर्घटनायें
2. रेल दुर्घटनायें/सड़क दुर्घटनायें
3. अग्नि-काण्ड
4. विस्फोट
5. अचानक भवन गिरना
6. औद्योगिक दुर्घटना
7. भगदड़

3- आपदा प्रबन्धन के मूल सिद्धांत

4- आपदाओं के संबंध में पुलिस की भूमिका

5- गंभीर दुर्घटनाओं एवं आपदाओं के दौरान घटित होने वाले सामान्य अपराध तथा उनके नियंत्रण हेतु पुलिस कार्यवाही।

6- आपदा प्रबन्धन की की राष्ट्रीय नीति

7- आपदा प्रबन्धन में गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका

8- अग्नि दुर्घटनाओं के कारण तथा रोकथाम व बचाव के उपाय।

9- आपदाओं के उपरान्त पुनर्वास एवं सहायता तैयारियों

10- आपदा प्रबंधन संबंधी राज्य एवं जिला स्तरीय योजनायें।

11- बाढ़ राहत कार्यों में पुलिस की भूमिका।

12- बाढ़ का परिदृश्य, बाढ़ पीड़ितों के बचाव, सहायता एवं पुनर्वास केस अध्ययन

13- गुजरात, उत्तरकाशी अथवा चमोली भूकंप पर केस अध्ययन।

घ- मोटर तकनीक तथा यातायात प्रबंधन :-

मोटर तकनीक :-

1. मोटर गाड़ियों के बारे में सामान्य जानकारी- भारी गाडी, हल्की गाडी तथा उसके पंजीकरण फिटनेस का ज्ञान।
2. विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों का चलाना।
3. मोटर गाड़ियों के मुख्य-मुख्य पुर्जों का ज्ञान एवं उनका रिप्लेसमेंट (कण्डम कराना, पार्ट की अवधि)
4. मोटर गाड़ियों का निरीक्षण
5. मोटर गाड़ियों से संबंधित अभिलेख - लॉग बुक, रन रजिस्टर, कार डायरी।
6. स्टॉक बुक- पेट्रोलियम, पाटर्स

3- यातायात प्रबंधन :-

1. यातायात पुलिस का संगठन एवं प्रशासन
2. यातायात प्रबंधन एवं व्यवस्था के सिद्धांत
3. यातायात प्रवर्तन करने संबंधी विधि तथा नियम
4. यातायात इंजीनियरिंग , शिक्षा तथा क्रियान्वयन
5. सड़क प्रयोग के नियम (राष्ट्रीय मार्ग) शिष्टाचार, यातायात सुरक्षा संबंधी ज्ञान, ट्रेफिक चिन्हों का ज्ञान
6. यातायात सर्वे, ट्रेफिक बीट एवं गश्त
7. दुर्घटना प्रबंधन
8. पुलिस अधिकारों का यातायात प्राधिकारी एवं अन्य एजेंसियों से समन्वय।
9. यातायात अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण।
10. यातायात उल्लंघन में पुलिस उपाधीक्षक की कम्पाउन्डिंग पावर

अपराधों की रोकथाम एवं अपराध संबंधी अभिलेख

पूर्णांक:- 50

कालांश:- 45

1- अपराध की रोकथाम

1. गश्त, निगरानी, गाड़ाबन्दी एवं अभिसूचना संकलन।
2. बीट के कार्य
3. ग्राम/मोहल्ला सुरक्षा समितियाँ एवं स्वैच्छिक सेवा समितियाँ से सहयोग, ग्राम चौकीदार
4. आपराधिक सूचनाओं का एकत्रीकरण, जनता की शिकायतों की जाँच
5. संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही।
6. मुखबिरों का प्रयोग, जनता के गवाहों की समस्यायें
7. सेवानिवृत्त कर्मचारियों/आग्नेयास्त्र धारकों से सहायता प्राप्त करना।
8. गुन्डो/अभ्यस्त अपराधियों /आतताइयों/आतंकवादियों के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण
9. सम्पत्ति सम्बंधी विभिन्न विवादों का निपटारा शीघ्रता से करना।
10. डकैती एवं चोरी की रोकथाम
11. संगठित अपराधों की रोकथाम
12. अपराध विश्लेषण।

2- अपराध सम्बन्धी अभिलेख तथा सांख्यिकी :-

1. आवश्यकता तथा महत्व
2. अभियुक्तों से सम्बंधित अभिलेख
3. थाना स्तर के अभिलेखों का ज्ञान एवं आंकडा
4. जिला स्तर के अभिलेखों का रखना (पुलिस अधीक्षक/पी0ओ0 कार्यालय)
5. राज्य अपराध सूचना केन्द्र के अभिलेख
6. अपराध एवं अपराधियों का विश्लेषण
7. कम्प्यूटर द्वारा अपराधिक सूचनाओं का रखना एवं आदान-प्रदान
8. अपराध अनुसंधान विभाग के अभिलेखों का रख-रखाव।

3- सामुदायिक पुलिस व्यवस्था

1. सामुदायिक पुलिस व्यवस्था की अवधारणा
2. विश्व के विभिन्न देशों में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के प्रयोग।
3. भारत में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का इतिहास।
4. सामुदायिक पुलिस व्यवस्था प्रणाली।
5. सामुदायिक पुलिस व्यवस्था में पुलिस की भूमिका।

अपराधों की विवेचना

पूर्णांक:— 100

कालांश:— 80

1. विवेचना, पुलिस अन्वेषण एवं पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक) की भूमिका
2. विवेचना के साधारण सिद्धांत, विवेचक के गुण, विवेचना में समन्वय
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण एवं उसकी महत्ता
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अपराधों की विवेचना
5. दहेज हत्या के अपराधों की विवेचना
6. निरीक्षण का अर्थ एवं महत्व, निरीक्षण के संसाधन
7. घटनास्थल का निरीक्षण एवं सुरक्षा, घटनास्थल का नक्शा तैयार करना
8. साक्ष्य एकत्र करना एवं विशेषज्ञों की मदद लेना
9. तलाशी, गिरफ्तारी एवं सम्पत्ति का अधिग्रहण करने में सावधानियाँ
10. शव का पंचायतनामा तैयार करना, पोस्टमार्टम हेतु भेजे जाने वाले कागजों का ज्ञान तथा पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होने पर कार्यवाही।
11. साक्षियों अभियुक्तों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के पूछताछ करना (सिद्धांत एवं तकनीक)
12. केस डायरी लिखना
13. अभियुक्तों का बयान कलमबद्ध करना
14. अभियुक्तों को पुलिस रिमाण्ड पर लेना
15. स्वीकृति/संस्वीकृति का अभिलिखित करना
16. मरणसन्त कथन का लिखना
17. अभियुक्तों के प्रत्यार्पण से सम्बन्धित कार्यवाही।
18. कार्यवाही शिनाख्त (माल मुल्जिम) तथा विशेषज्ञों की राय प्राप्त करना।
19. विवेचना से दूसरों थानों, जेल, चिकित्सालय व अन्य विभागों से सहायता एवं तालमेल
20. आरोप पत्र, अन्तिम रिपोर्ट तैयार करना एवं उसमें बरती जाने वाली सावधानियाँ।
21. शरीर के विरुद्ध अपराध संबंधी विवेचना
22. सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध सम्बन्धी विवेचना
23. सड़क दुर्घटना की विवेचना
24. श्वेत व्यसन अपराध
25. जाली दस्तावेज एवं सिक्कों सम्बन्धी विवेचना
26. विवेचना की निगरानी एवं प्रगति
27. सूचनाओं (अपराधिक) का एकत्र करना, सूचना के श्रोतों का बयान (मुखबिर)
28. सिमुलेशन एक्सरसाइज— हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, सड़क दुर्घटना, दहेज हत्या, पुलिस हिरासत में मृत्यु आदि।
29. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम व उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अर्न्तगत रिपोर्ट तैयार करना।
30. अर्न्तराष्ट्रीय अपराध/तस्करी के मामलों में कार्यवाही।
31. साइबर अपराध सम्बन्धी जॉच/विवेचना
32. तीन दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण/भ्रमण
33. जनपदीय स्तर पर व्यवहारिक प्रशिक्षण/भ्रमण

न्याय शास्त्र / न्यायालय प्रबंधन एवं अभियोगो का विचारण

पूर्णांक:- 50

कालांश:- 40

1. न्याय शास्त्र की परीभाषा
2. न्याय की अवधारणा- नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत
3. थसविल एवं अपराधिक न्याय प्रणाली
4. अन्वेषकीय एवं अभियोजकीय आपराधिक न्याय प्रबंधन पद्धति
5. अधिनियमों की व्याख्या के सिद्धांत
6. न्यायालयों के प्रकार एवं न्यायिक प्रक्रिया
7. कोर्ट कलैण्डर
8. स्थगनादेश
9. अभियुक्तों की रिमाण्ड आख्या तैयार करना
10. गवाहों को पेश करना
11. मौखिक साक्ष्य देने की विधि
12. अभिलेखीय / विशेषज्ञ साक्ष्य का न्यायालय में प्रस्तुतीकरण
13. माल मुकदमाती, बरामदगी की थाना मालखाना एवं सदर मालखाना में रखना तथा निर्णय के बाद नष्ट करना
14. निर्णय एवं उनकी प्रति प्राप्त करना
15. अपील एवं अपील की कार्यवाही।

न्याय शास्त्र/न्यायालय प्रबंधन एवं अभियोगो का विचारण

पूर्णांक:- 100

कालांश:- 100

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1959 (शस्त्र अधिनियम के अर्न्तगत पुलिस उपाधीक्षक को निरीक्षण के विशेष अधिकार) धारा 2क, ख, ग, 3, 4, 19, 20, 25क, ख, 26 से 29, 37 से 39
2. विस्फोटक अधिनियम 1884 धारा 2, 4(1 से 4), 12, 13
3. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 धारा 2 से 6, 7
4. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 धारा 2, 23, 24, 25, 28, 29, 36, 82 से 87, 92
5. तार यंत्र संबंधी तार (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1985 धारा 3, 20 से 31, 33
6. स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 धारा 1, 2, 3, 5, 8, 15 से 22, 27, 28, 30, 31, 41 से 44, 49, 50, 68
7. स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ वस्तुओं का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1987 धारा 2 सी,ई
8. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सम्पूर्ण
9. भारतीय निखात निधि अधिनियम 1878 धारा 2, 4, 20, 31
10. पुलिस अधिनियम सम्पूर्ण
11. प्रेस एवं पुस्तकों का रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1867 धारा 1 से 8, 15, 19 ख, 20, 21
12. पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922 धारा 2 से 4
13. पुलिस बल अधिकारों का निर्बंधन अधिनियम 1966 धारा 2 से 4
14. राज्य द्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम 1911 धारा 2, 2, 5, 6, 8
15. दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 1908 (भाग-2) 1932, 1952, 1961, 1966 सम्पूर्ण
16. भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 धारा 22 से 27 ख
17. मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 2 से 6, 39, 40, 66, 93, 112, 113 से 119, 122 से 134, 136, 140 से 142, 145, 146, 177 से 198, 201 से 207
18. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 3 से 7, 21 से 28, 40
19. जंगली जन्तु संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 50, 51, 55
20. बंदी शिनाख्त अधिनियम 1920 धारा 1 से 7
21. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 धारा 1 से 18, 20, 21
22. किशोर न्याय अधिनियम 2000
23. गो वध निवारण अधिनियम 1970 धारा 2 से 9
24. भारतीय रेल अधिनियम 1989 धारा 137, 147, 150 से 157, 160 से 168, 172 से 176, 179, 180
25. रेल सम्पत्ति (विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 धारा 2 से 7, 10 से 12
26. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 धारा 2 से 7, 10, 15
27. बान्डेड लेबर सिस्टम एबालिशन एक्ट 1976 धारा 4, 15 से 22
28. दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 सम्पूर्ण
29. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 सम्पूर्ण
30. उ0प्र0आबकारी अधिनियम 1910 धारा 3, 4 से 7, 10 से 23, 28, 31, 34, 35, 42, 48 से 74 तक नियम
31. उ0प्र0 सर्वाजनिक जुआ अधिनियम 1867 धारा 1 से 7, 9, 13, 13क
32. सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 धारा 2 से 5, 16
33. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 धारा 1, 2से 5, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22
34. सिविल डिफेंस एवं होमगार्ड अधिनियम सामान्य जानकारी

35. उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निषेध) अधिनियम 1992 सम्पूर्ण
36. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 कॉपी राइट एक्ट धारा 2, 3, 14, 52ए, 63, 63क, 64, 65, 68क
37. चलचित्र अधिनियम 1952 धारा 2, 5क, 6क, 7, 10, 11, 13, 14
38. उ0प्र0 प्रमोद एवं प्रणकिया कर अधिनियम 1979 धारा 2, 6, 7, 13, 26, 27, 29, 32
39. उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 सम्पूर्ण
40. भारतीय विद्युत अधिनियम 1986 सम्पूर्ण
41. लेक सम्पत्ति की क्षति निवारण अधिनियम 1984 सम्पूर्ण
42. प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 धारा 2, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 28, 31
43. कस्टम अधिनियम 1962 धारा 2, 7, 11, 100 से 108, 110 से 117, 132, 138, 140 क
44. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 2 से 11
45. उ0प्र0 पीएसी अधिनियम 1948 सम्पूर्ण
46. उ0प्र0 जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 धारा 198क
47. उ0प्र0 चिट फण्ड अधिनियम 1982 सामान्य जानकारी
48. एन्टी हाई जैकिंग अधिनियम 1982 धारा 2 से 6
49. पासपोर्ट अधिनियम 1967 धारा 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16
50. मानवाधिकार अधिनियम 1993 सम्पूर्ण
51. उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 सम्पूर्ण
52. उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 सम्पूर्ण
53. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 सम्पूर्ण
54. उ0प्र0 प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज (रूल्स एण्ड रेगुलेशन) एक्ट 1966 सम्पूर्ण
55. विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1967 सम्पूर्ण
56. यूनाईटेड प्राविन्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1932 सम्पूर्ण
57. राष्ट्रीय गरिमा के अपयनन का निवारण अधिनियम 1971 सम्पूर्ण
58. बौद्धिक सम्पदा अधिकार संरक्षण अधिनियम सम्पूर्ण
59. शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 सम्पूर्ण
60. पर्यावरण अधिनियम सम्पूर्ण
61. मानव अंगों का अवैध प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 सम्पूर्ण
62. धन शोधन सम्पूर्ण
63. भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम 1994 सम्पूर्ण
64. धार्मिक संस्था (दुरुपयोग) अधिनियम 1988 सम्पूर्ण
65. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (महत्वपूर्ण प्रावधान तथा चुनाव व्यवस्था सम्बंधी महत्वपूर्ण निर्देश) सम्पूर्ण
66. न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 सम्पूर्ण
67. जॉच आयोग अधिनियम 1952 सम्पूर्ण
68. द ज्यूनाइल जस्टिस (केयर एण्ड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन एक्ट) 2000

आफिस मैनुअल एवं वित्तीय नियम

पूर्णांक:- 50

कालांश:- 40

1. आचार संहिता
2. सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन रूल्स
3. आंकिक शाखा तथा पत्र व्यवहार शाखा के कार्य
4. अन्य लाभकारी योजनायें- आवास, परिवार, शिक्षा एवं यात्रा संबंधी
5. वित्तीय नियम संग्रह के अर्न्तगत वेतन, वेतनवृद्धि, निलम्बन भत्ता, यात्रा भत्ता के नियमों की जानकारी।
6. सलेक्शन ग्रेड, समयबद्ध वेतनमान, उच्चतर पद वेतनमान से संबंधित शासनादेश/उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के सर्कुलर की जानकारी
7. अवकाश/चिकित्सा अवकाश सम्बन्धी नियम
8. अपराध अनुसंधान विभाग निर्देशिका
9. राजकीय रेलवे पुलिस निर्देशिका
10. पुलिस अधीक्षक कार्यालय की कार्यालय निर्देशिका
11. अपराधों पर पत्रिका, डी0सी0आर0बी0 निर्देशिका, जेल निर्देशिका
12. पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन के निरीक्षण मेमो
13. राजपत्रित अधिकारी द्वारा पुलिस थानों के निरीक्षण मेमो
14. अभियोजन शाखा के कार्य
15. वर्दी के नियम (ड्रेस रेगुलेशन)
16. उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1952
17. पुलिस के विभिन्न शाखाओं के अभिलेख
18. जाँच कैसे की जाय (वार्ता एवं व्यवहारिक ज्ञान)

वित्तीय नियम

1. वित्तीय नियम
2. टी0ए0 रूल्स
3. बजट
4. लोन एडवांस (वाहन एवं आवास आदि)
5. क्रेडिट ऑर्डर
6. आहरण अधिकारी के दायित्व।

सामाजिक –आर्थिक वातावरण–पुलिस पर प्रभाव

पूर्णांक:- 50

कालांश:- 40

1. भारतीय समाज में व्यक्ति एवं परिवार
2. जति, समुदाय एवं वर्ग का भारतीय समाज में महत्व
3. भारतीय समाज में धर्म एवं धार्मिक संगठनों की भूमिका
4. ग्रामीण/जनजातीय एवं नगरीय भारत का सामाजिक –आर्थिक परिवेश एवं समस्याएं, विशेषताया ग्रामीण/जनजातीय समाज के संदर्भ में।
5. कृषकीय व्यवस्था में परिवर्तन एवं ग्रामीण समाज पर उसका प्रभाव
6. भारतीय समाज का बदलना, सामाजिक, आर्थिक परिवेश
7. सरकार की आर्थिक नीतियाँ एवं उसके सामाजिक , आर्थिक, राजनीतिक एवं अपराधिक परिणाम।
8. उदरीकरण एवं वैश्वीकरण से पुलिस के समक्ष उभरती चुनौतियाँ
9. बदलते सामाजिक –आर्थिक परिवेश में नौकरशाही की भूमिका।

प्रबन्धन के सिद्धांत एवं मानव व्यवहार

पूर्णांक:- 100

कालांश:- 80

1- प्रबन्ध की प्रस्तावना :-

1. प्रबन्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कौटिल्य, एफ0डब्लू, टेलर, एल्टन मेमो इत्यादि के विचारों के संदर्भ में।
2. प्रबंधन के सिद्धांत- पुलिस संगठन के परिपेक्ष्य में उनकी सार्थकता।
3. व्यवस्थापक दृष्टिकोण - पुलिस संगठन के परिपेक्ष्य में इसकी समीक्षा
4. प्रबंधन का मूल कार्य, पुलिस का नियोग मिशन लक्ष्य तथा प्राथमिकतायें।
5. प्रबंधन का उपकरण क- संगठन, ख- व्यवस्था, ग- कार्मिक

2- नियंत्रण , प्रबंधन एवं मानव व्यवहार

1. व्यवहार का मनोविज्ञान
2. व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कारक
3. संगठन व्यवहार
4. संगठन में व्यक्ति
5. व्यक्तित्व के सिद्धांत
6. छवि निर्माण
7. स्वधारणा
8. प्रेरणा
9. समूह गल्यात्मकता
10. अंतः समूह संबंध
11. संघर्ष का प्रबन्धन पर नियंत्रण
12. समझौतावादी दृष्टिकोण (कौशल)
13. समूह/टीम निर्माण
14. नेतृत्व एवं नेतृत्व शैली
15. प्रेरणा एवं प्रेरणा कौशल
16. समय प्रबंधन
17. तनाव प्रबंधन
18. संवाद शैली/संचारण शैली
19. परिवर्तन प्रबंधन
20. कानफेंस/परिचर्चा /प्रेस वार्ता शैली
21. वित्तीय प्रबंध

3- व्यक्ति समूह एवं संस्थाओं से संबंध :- निम्न से संबंध व उनको समझना

1. जनता
2. स्त्रियों एवं बच्चे
3. युवा/विद्यार्थी
4. अल्पसंख्यक
5. औद्योगिक मजदूर
6. कृषक एवं भूमिहीन कृषक/मजदूर
7. संगठित एवं असंगठित मजदूर वर्ग
8. व्यापारी वर्ग/व्यावसायिक समूह
9. मीडिया
10. जन प्रतिनिधी (सांसद, विधायक एवं अन्य नेतागण)
11. मानवाधिकार संगठन
12. उच्चाधिकारी
13. गैर सरकारी संगठन
14. अन्य सरकारी विभाग (वित्त, परिवहन, जेल, स्वास्थ्य इत्यादि)
15. न्यायालयों से संबंध

पुलिस विभाग में पत्राचार एवं रिपोर्ट लेखन

पूर्णांक:- 25

कालांश:- 55

1. प्रभावी लेखन की तकनीक
2. अपराध के घटनास्थल की निरीक्षण रिपोर्ट लिखने का अभ्यास
3. बड़ी यातायात दुर्घटना के सम्बन्ध रिपोर्ट लिखने का अभ्यास
4. गिरफ्तारी एवं बरामदगी सम्बन्धी रिपोर्ट लिखने का अभ्यास
5. सम्पत्ति की बरामदगी सम्बन्धी रिपोर्ट लिखने का अभ्यास
6. डकैती एवं हत्या सम्बन्धी मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने का अभ्यास
7. आयुद्ध एवं विस्फोटक सम्बन्धी बरामदगी रिपोर्ट लिखने का अभ्यास
8. अभियुक्त की संस्वीकृति कथन लिखने का अभ्यास
9. मृत्यु पूर्व कथन अंकित करने का अभ्यास
10. खतरनाक पागल/उपद्रवो व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं जनरल डायरी में अंकन का अभ्यास
11. क्षेत्र विशेष के अपराधियों के विषय में एकत्रित सूचना सम्बन्धी रिपोर्ट लिखने का अभ्यास
12. विभिन्न समूहों द्वारा सम्भावित धरना प्रदर्शन सम्बन्धी सूचना एवं रिपोर्ट
13. लेखन संचार का महत्व— एक प्रस्तावना
14. क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय कानूनों के अर्न्तगत निरुद्धी सम्बन्धी रिपोर्ट
15. व्यवस्था सम्बन्धी आदेशों की रिपोर्ट
16. जिला बदर सम्बन्धी रिपोर्ट
17. हिस्ट्रीशीट में प्रविष्टि करने का अभ्यास
18. अपराध एवं कानूनन व्यवस्था सम्बन्धी रेडियो संदेशों/फैक्स/ई-मेल को लिखने का अभ्यास
19. विशेष शाखा की रिपोर्टों को लिखने का अभ्यास
20. आरोप पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट लिखने का अभ्यास

कम्प्यूटर

पूर्णांक:- 100

कालांश:- 300

1. कम्प्यूटर का परिचय, कार्यालय स्वचालन एवं सम्प्रेषण उपकरण और पुलिस की कार्यप्रणाली में इनका महत्व ।
2. व्यक्तियों और संगठनों द्वारा कम्प्यूटरों का प्रयोग
3. हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का परिचय
4. हार्डवेयर :- सी0पी0यू0, की-बोर्ड, माउस, स्कैनर, रोम, रैम, फ्लोपी ड्राइव, सी0डी0ड्राइव जिप ड्राइव, डी0वी0डी0 ड्राइव, टेप ड्राइव आदि का सामान्य परिचय ।
5. हार्डवेयर :- डाटा संचय उपकरण-हार्ड डिस्क, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, फ्लोपी डिसक, जिप, सी0डी0, डी0वी0डी0, फ्लैश मैमोरी आदि ।
6. सूचना सम्प्रेषण उपकरण :- टेलीफोन, सेलुलर फोन, वायरलैस, मॉडेम, डायल अप, आई0एस0डी0एन0, कनेक्टिविटी, इन्टरनेट, ई-मेल आदि ।
7. ऑपरेटिंग सिस्टम- विण्डो एक्स0पी0, विण्डो 7, विण्डो 8 का सामान्य परिचय एवं इसकी सामान्य विशेषतायें, विण्डोज को स्टार्ट करना, बन्द करना, माउस का प्रयोग ।
8. विण्डो डैक्कटॉप, टूलबार, मीनूज और डायलॉग बाक्स का प्रयोग ।
9. विण्डो ड्राइव्स, फोल्डर्स, फाइल्स की जानकारी और उसमें कार्य करना, फाइल्स और फोल्डरों का प्रबन्ध करना ।
10. कार्यालय स्वचालन साफ्टवेयर पैकेज
11. एम0एस0 वर्ड, वर्ड प्रोसेसर का एक परिचय
12. इंस्टालेशन, मीनू, टूलबार, रूलर, स्कालबार, स्टेटस बार आदि का परिचय एवं इसकी सहायता से कार्य करना ।
13. फाइल बनाना, सुरक्षित करना, डेटा एवं फाइल को आयात एवं निर्यात करना ।
14. पेज, पैराग्राफ, सेक्शन को फॉरमेट करना ।
15. टैब्स, टेबिल्स, डॉट का प्रयोग
16. नम्बर्स लिस्ट और हैडिंग का प्रयोग
17. स्टाइल्स, फोन्ट्स और फोन्ट साइज ।
18. टैक्सट सम्पादन
19. टैक्सट की पोजीशन और व्यू ।
20. इन्डैन्ट्स और आउट इन्डैन्ट्स
21. टैक्सट का ढूढना और बदलना
22. पेज ब्रेक करना, पेज नम्बर डालना, बुकमार्क , चिन्ह, दिनांक डालना ।
23. पेज में हैडर फुटर डालना ।
24. कॉलम, फ्रेम में कार्य करना ।
25. फॉर्म में कार्य करना ।
26. टूल्स के साथ कार्य करना ।
27. पेज सैट
28. एम0एस0 एक्सल का परिचय
29. वर्कशीट, वर्कबुक, रो, कालम्स, सैल्स, सीट्स, टैक्सट और नम्बर का प्रयोग ।
30. वर्कशीट और वर्कबुक बनाना ।
31. वर्कशीट व वर्कबुक का खोलना व सुरक्षित करना ।

32. गणित के साधारण फारमूलों व गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग ।
33. संख्याओं , टैक्सट, वर्कशीट को फारमेट करना एवं डाटा को छटना ।
34. चार्ट व ग्राफ के साथ कार्य करना । अन्य एप्लीकेशनों से डाटा आयात करना ।
35. वर्कशीट व वर्कबुक को छापना ।
36. एम0एस0पॉवर प्वाइंट का परिचय
37. डाटाबेस सॉफ्टवेयर एम0एस0एक्सिस का परिचय
38. डेटाबेस के मुख्य-मुख्य तत्व व भाग
39. डेटाबेस विण्डो, टेबिल, फोण्टस, रिपोर्टस, क्यूरीज एक परिचय
40. टेबिल को बनाना व डिजाइन करना, डाटा एन्टर करना, टेबिल व डेटाशीट में कार्य करना ।
41. फॉर्म डिजाइन करना, डाटा में धूमना , डेटा को फिल्टर करना व छँटनी करना ।
42. डेटाबेस क्यूरी करना, अपडेट व माडीफाई करना ।
43. रिपोर्ट को डिजाइन करना, तैयार करना, छापना ।
44. रिलेशन डेटाबेस प्रबन्धन प्रणाली एक परिचय
45. डेटाबेस पैकेजो में सम्बन्ध बनाना ।
46. इन्टरनेट व पोलनेट व ई-मेल का परिचय ।
47. नेशनल काइम रिकार्ड ब्यूरो, राज्य काइम रिकार्ड ब्यूरो, डी0सी0आर0बी0 एवं थाना स्तर ।
48. अपराध और अपराधी सूचना प्रणाली रखरखाव ।
49. व्हिकल कोर्डनेशन सिस्टम
50. पोर्ट्रेड बिल्डिंग सिस्टम
51. आटोमेटिक फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम
52. साइबर अपराध
53. कम्प्यूटर फोरेंसिक
54. कम्प्यूटर वायरस एवं वार्मस आदि ।
55. एन्टीवायरस प्रोग्राम
56. फायर वाल्स- हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर
57. डाटा रिकवरी टूल्स
58. कम्प्यूटर अभ्यास के लिये कालांश ।

पुलिस उपाधीक्षक आधारभूत प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम, बाह्य विषय

कुल कालांश :- 956

12 ¹/₂ माह में दिवसों का विवरण (लगभग)

1. प्रशिक्षण अवधि :- 12 ¹/₂ माह
आगामी विवरण 15 दिवस परीक्षा के छोड़ते हुये वास्तविक 12 माह का दिया जा रहा है।
2. रविवार अवकाश :- 54
3. द्वितीय शनिवार :- 13
4. राजपत्रित अवकाश :- 32
5. प्रशिक्षण अवधि में वृहस्पतिवार :- 54
कुल अवकाश :- 95
6. वास्तविक आंशिक कार्य दिवस (वृहस्पतिवार) :- 54×2=108
7. वास्तविक बाह्य विषय कालांश :- 956
8. कालांश अवधि :- 40 मिनट

नोट :-

1. कम्प्यूटर प्रशिक्षण बाह्य प्रशिक्षण के उपरान्त होगा। मौसम के अनुसार जिन दिनों सायंकालीन मार्च ऑफ 1630 बजे होगा। उस समय कम्प्यूटर प्रशिक्षण सायंकालीन आउटडोर कार्यक्रम से पूर्व चलाया जा सकता है।
2. लॉग डिस्टेन्स कासकंट्री रेस द्वितीय शनिवार की प्रातः कराई जायेगी।
3. मौसम के अनुसार जब परेड 0600 बजे एवं 0630 बजे मार्च ऑफ हो तो प्रातः पहना एक कालांश 30 मिनट का योगा कराया जायेगा जो सम्पूर्ण योग 956 कालांश के अतिरिक्त होगा। इस कारण को प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोई औपचारिक स्थान नहीं दिया गया है।
4. सायंकाल निर्धारण कालांशो के बाद एक अतिरिक्त कालांश खेल होगा जिसका औपचारिक उल्लेख कालांशों के सम्पूर्ण विवरण में नहीं दिया गया है।
5. आवश्यकता पडने पर तैराकी का प्रशिक्षण/अभ्यास वृहस्पतिवार की प्रातः काल भी कराया जा सकता है।
6. मौसम को देखते हुये पाठ्यक्रम में स्थानीय स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है।

पुलिस उपाधीक्षक आधारभूत प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम

कालांश विवरण :- बाह्य विषय

प्रशिक्षण अवधि :- 12 ¹/₂ माह

क्र०सं०	विषय	अंक
1	पदादि प्रशिक्षण (बिना शस्त्र)	25
2	पदादि प्रशिक्षण (शस्त्र के साथ)	75
3	शस्त्र प्रशिक्षण	50
4	फायरिंग	25
5	शारीरिक प्रशिक्षण :- 1. पी०टी०/कमाण्ड लीडरशीप :- 50 2. अपरेटर्स वर्क/ऑब्सटीकल असाल्ट कोर्स 50+25= :- 75 3. रोड वॉक रन/कास कन्ट्री रेस :- 25 4. फिजिकल एफीशियेन्सी :- 100 5. यू०ए०सी० :- 50	300
6	यातायात नियंत्रण ड्रिल	25
7	भीड़ नियन्त्रण ड्रिल	25
8	फील्ड क्राफ्ट जंगल ट्रेनिंग	75
9	अश्वारोहण	100
10	मोटर ड्राइविंग	50
11	तैराकी	50
	योग	800

विवरण सम्पूर्ण कालांश

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	पदादि प्रशिक्षण (बिना शस्त्र)	135
2	शस्त्र प्रशिक्षण	95
3	फायरिंग	30
4	शारीरिक प्रशिक्षण :-	325
5	यातायात नियंत्रण ड्रिल	10
6	भीड़ नियन्त्रण ड्रिल	35
7	फील्ड क्राफ्ट जंगल ट्रेनिंग	75
8	अश्वारोहण	140
9	मोटर ड्राइविंग	35
10	तैराकी	60
11	दोहराई	16
	योग कालांश	956

नोट :- प्रशिक्षण अवधि 12 ¹/₂ माह है। उपरोक्त विवरण 12 माह अवधि का है। शेष 15 दिवस परीक्षाओं हेतु।

पुलिस उपाधीक्षक (परि०) का उप विषयवार बाह्य कक्ष पाठ्यक्रम

1- पदादि प्रशिक्षण :- 135 कालांश

क्र०सं०	विवरण	कालांश
1	पद कवायद बिना शस्त्र	35
2	स्क्वाड ड्रिल (शस्त्र सहित)	10
3	कमाण्ड लीडरशीप (शस्त्र सहित)	20
4	शस्त्र ड्रिल (शस्त्र सहित)	12
5	गार्द माउन्टिंग (शस्त्र सहित)	10
6	सम्मान गार्द / हर्ष फायर / शोक कवायद (शस्त्र सहित)	04
7	ई०ओ०डी० (शस्त्र सहित)	04
8	सड़क पंक्ति / वाहन प्रबन्ध (शस्त्र सहित)	04
9	प्लाटुन / कम्पनी ड्रिल	15
10	रूट मार्च (शस्त्र सहित)	16
11	सोर्ड ड्रिल	03
12	केन ड्रिल	02
	योग	135

2- शस्त्र प्रशिक्षण :- 95 कालांश

क्र०सं०	विवरण	कालांश
1	.22" रायफल / .410 मस्कट	03
2	.303 रायफल	05
3	9 एमएम स्टेनगन	05
4	9 एमएम कारबाईन	08
5	9एमएम पिस्टल	15
6	.38' रिवाल्वर	15
7	वी०एल०पी० / पी०एम०एफ०	02
8	7.62 एमएम एस०एल०आर०	06
9	7.62 एमएम ए०के० 47 / ए०के० 56 रायफल	06
10	5.56 एमएम इन्सास रायफल	04
11	.303" एल०एम०जी०	06
12	.303" जी०एफ० रायफल	03
13	एच०ई० 36 ग्रिनेड	03
14	2" मोर्टार	01
15	एन०टी० रायट गन / टियर स्मोक गन	03
16	रिवाल्वर आरमोरर वर्क	05
17	रायफल आरमोरर वर्क	05
		95

3- शस्त्र फायरिंग :- 30 कालांश

क्र०सं०	विवरण
1	.22" रायफल
2	.303 रायफल
3	.38" रिवाल्वर /9 एमएम पिस्टल
4	9 एमएम कारबाईन
5	7.62 एमएम एस0एल0आर0
6	7.62 एमएम ए0के0 47 रायफल
7	.303" एल0एम0जी0
8	ग्रिनेड (हाथ से/रायफल

4- फिजीकल एफीसियेन्सी प्रशिक्षण :- 325 कालांश

क्र०सं०	विवरण	कालांश
1	पी0टी0 / कमाण्डलीडरशीप	135
2	एपरेटर्स वर्क / आब्सटीकल कोर्स (चोड़ा घोड़ा, रस्सा, बीम, सामने लुढ़क, पीछे लुढ़क	80
3	रोड वाक रन / कास कंट्री / लॉग डिस्टेन्स कासकन्ट्री	48
4	पी0ई0 टेस्ट (100मी0 दौड़, 1500 मी0 दौड़, ऊँची कूद, लम्बी कूद गोला फेंक	30
5	यू0ए0सी0	32
		325

5- यातायात नियन्त्रण ड्रिल :- 10 कालांश

क्र०सं०	विवरण	कालांश
1	ड्राइवर के संकेत	04
2	ट्रेफिक संकेत (हाथ द्वारा)	04
3	ट्रेफिक राडार	02
		10

6- भीड़ नियन्त्रण (बलवा) ड्रिल :- 35 कालांश

क्र०सं०	विवरण	कालांश
1	बलवा ड्रिल	20
2	बैंत ड्रिल	10
3	टियर स्मोक व रबड़ बुलेट	05
		35

7- फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स एवं जंगल ट्रेनिंग :- 75 कालांश

अ- फील्ड क्राफ्ट :-

1. देखभाल
 - ✓ जमीन का अध्ययन
 - ✓ चीजें क्यों नजर आती है।
 - ✓ छद्म व छुपाव
 - ✓ फासले का अनुमान लगाना।
 - ✓ रात्रि सन्तरी का कर्तव्य
2. जमीनी निशानों, तारगेटों का बयान व पहिचान
3. फायर कन्ट्रोल आर्डर एवं अनुशासन
4. खाली हाथ व हथियार के साथ हरकरत करना (जंगी चालें)
5. सामान्य रूकावटों को पार करना व फायर पोजीशन चुनना
6. दिन व रात के वक्त दुश्मन की ताक में दबे पाँव चलना (स्टाकिंग बॉर्ड व नाइट)

ब- टेक्टिक्स आदि :-

1. फौजी टेक्टिकल शब्दों का ज्ञान।
2. आतंकवादी क्षेत्र में पुलिस पोस्ट लगाना।
3. आतंकवादियों की कार्यपद्धति का ज्ञान
4. मोबाईल चैक पोस्ट
5. सेकशन व प्लाटून एवं चान्स इन्काउन्टर
6. स्काउट
7. पेट्रोलिंग
8. बर्बल आर्डर तथा ब्रीफिंग
9. रोड ब्लॉक/कानवाय और स्कार्ट
10. फील्ड सिगनल्स
11. रैनज कार्ड बनाना
12. बूबी ट्रेप्स
13. एम्बुश व काउण्टर एम्बुश
14. दबिश
15. एण्टी डकैती स्कीम :-
 - 1- गाँव, मकान व खेत में छिपे डकैतों को गिरफ्तार करना।
 - 2- बस व रेल से यात्रा के समय डकैतों को गिरफ्तार करना।
16. काउण्टर इन्सरजेन्सी अभियान :-
 - 1- घेराबन्दी, 2- ड्राइव फॉर हण्ट, 3- फायर फ्लश, 4- काम्बिंग, तलाशी
17. मैप रीडिंग- सामान्य जानकारी, मैप, दिशाओं का ज्ञान, दिन व रात्रि में नक्शा सेट करना।
18. कम्पास- सामान्य जानकारी, सेट करना, कम्पास की सहायता से रात्रि में मार्च करना।
19. नाईट नेविगेशन - पार्टियों के बारे में जानकारी, नाईट मार्च, चार्ट बनाना, नेविगेशन पार्टी की मदद से नाईट मार्च।
20. सैण्ड मॉडल - सामान्य जानकारी, ब्रीफिंग का तरीका आदि।

8— अश्वारोहण प्रशिक्षण**140 कालांश**

क्र०सं०	विवरण	कालांश
1	अस्तबल प्रबन्धन	08
2	टर्नआउट/चढना एवं उतरना	04
3	कदमताल	10
4	दुलकी चाल (ट्रॉट)	30
5	धीमी सरपट (केन्टर)	30
6	सरपट, दौड़ गेलप व टेन्ट पेगिंग	23
7	जम्प	15
8	सैडलिंग/ब्रिडलिंग	04
9	ट्रुप ड्रिल	04
10	ड्यूटी आफ सेन्टर गाइड	02
11	ड्यूटी आफ ट्रुप लीडर	06
12	माउण्टेड सोर्ड ड्रिल	04
		140

9— मोटर ड्राइविंग**35 कालांश**

क्र०सं०	विवरण	कालांश
1	ड्राइविंग फारवर्ड	20
2	ड्राइविंग रिवर्स	10
3	दिये गये आकार में रिवर्स व फारवर्ड ड्राइविंग	05
4		35

10— तैराकी**60 कालांश****11— दोहराई****16 कालांश**

अतिरिक्त विषय :-

1. प्रोटोकॉल
2. वर्तमान सैन्सटाइजेशन सम्बन्धी इश्यू
3. गोवंश संरक्षण अधिनियम
4. आर0टी0आई0
5. मानवाधिकार
6. जनहित याचिका
7. घरेलु हिंसा निवारण अधि0
8. पोस्को
9. कम्प्युनीकेशन एण्ड सॉफ्ट स्कील
10. वैलफ़ैयर इन डिफ़रेंट लेवल
11. टुरिज्म एवं डिजास्टर मैनेजमेन्ट कोर्स

सेमिस्टर अनुसार अन्तिम परीक्षा के विषयों, अंको एवं कालांशों का विवरण आन्तरिक विषय

क्र०सं०	विषय	अंक	कालांश
प्रथम सेमिस्टर		500	430
1	भारतीय दण्ड विधान	100	120
2	दण्ड प्रक्रिया संहिता	100	110
3	आधुनिक भारत में पुलिस का स्वरूप/राज्य पुलिस व्यवस्था एवं उसका स्वरूप, उत्तराखण्ड पुलिस संगठन, विशेष इकाईयां, केन्द्रीय पुलिस संगठन, उत्तराखण्ड शासन का संगठन।	100	60
4	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	100	80
5	पुलिस रेगुलेशन	100	80
द्वितीय सेमिस्टर		375	245
1	लैंगिक भेदभाव एवं मानवाधिकार, महिलाओं के प्रति हिंसा, अन्वेषण, अभियोजन प्रक्रिया, महिलाओं द्वारा महिलाओं के प्रति हिंसा, कार्य सस्थल पर लैंगिक समानता	50	35
2	भारतीय संविधान मौलिक आधार, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय न्याय व्यवस्था, संघ एवं राज्यों के बीच सम्बन्ध, लोक सेवकों का संरक्षण, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन, संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था, जनहित याचिका।	100	60
3	विधि विज्ञान/विधि चिकित्साशास्त्र	50	40
4	अपराधशास्त्र, दण्ड विज्ञान एवं परिपीडा शास्त्र	75	40
5	मानचित्र पठन, प्लॉन ड्राइंग, रेडियो संचार तथा प्राथमिक चिकित्सा	100	50
तृतीय सेमेस्टर		400	300
1	सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, मोटर, तकनीक तथा यातायात, वीआईपी सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, प्राकृतिक आपदायें, मानवजनित आपदायें, मोटर तकनीक तथा यातायात प्रबन्धन	100	70
2	अपराधों की रोकथाम एवं अपराध संबंधी अभिलेख तथा सांख्यिकी, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था।	50	30
3	अपराधों की विवेचना, सिद्धान्त, प्रथम सूचना रिपोर्ट, घटनास्थल का निरीक्षण, साक्ष्य, तलाशी, गिरफ्तारी, पंचयतनामा एवं पोस्टमार्टम, केस डायरी लिखना, रिमाण्ड, आरोप पत्र, कार्यवाही शिनाख्त, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, अपराध, साइबर अपराध।	100	70
4	न्यायशास्त्र, न्यायालय प्रबंधन एवं अभियोगों का विचारण	50	30
5	विविध अधिनियम	100	100
चतुर्थ सेमेस्टर		325	345
1	ऑफिस मैनुअल एवं वित्तीय नियम, अधिकारियों का निरीक्षण, वर्दी के नियम, उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, पुलिस की विभिन्न शाखाओं के अभिलेख, विभागीय जांच।	50	30
2	सामाजिक-आर्थिक वातावरण – पुलिस पर प्रभाव	50	30
3	प्रबंध के सिद्धांत एवं मानव व्यवहार, नियन्त्रण, प्रबन्धन एवं मानव व्यवहार, व्यक्ति समूह एवं स्थाओं से सम्बन्ध।	100	40
4	पुलिस विभाग में पत्राचार एवं रिपोर्ट लेखन	25	45
5	कम्प्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सल एवं पावर प्वाइंट।	100	200
योग		1600	1320